

**SUMMARU TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998
IN THE COURT OF A.K. GUPTA, JMFC, Gohad dist. Bhind (M.P.)**

Case No.....

Complaint or report made on

Name and address of the Complainant.....

शा. सु. गोहर

Name, parentage, caste and address of accused

1. गंगवीर सो रामगोपाल पांडेय उम्र 24 वर्ष R10
खिन्दाही पिन्ना जवाला

The offence, complainant of, and date of, its alleged commission

आपने दिनांक 17-6-17 को समय लगभग 23.00 बजे, स्थान
गोहरवाला, अंतर्गत थाना गोहर में वाहन भा.मे.का. को
M.P.30.M.1.0376 को

को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाया जिससे आहत गंगवीर सो रामगोपाल पांडेय को साधारण
उपहति कारित हुई इस प्रकार आपने ऐसा कृत्य किया है जो कि भा0द0वि0 की धारा
279, 337, 304, 305 के तहत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के संज्ञान में आता है।

2. यह भी आरोप है कि आपने उक्त दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को लोकमार्ग
पर

चलाया इस प्रकार आपने ऐसा कृत्य किया है जो कि मोटरयान अधिनियम की धारा
318, 145/198 के तहत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के संज्ञान में आता है।
क्या आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो।

A.K. Gupta
Judicial magistrate first class,
Gohad Dist. Bhind (M.P.)

The plea of the accused and his examination (if any)

मि. गंगवीर सो रामगोपाल पांडेय
जवाला

A.K. Gupta
Judicial magistrate first class,
Gohad Dist. Bhind (M.P.)

The offence proved. If any and in case under clause(d) clause(f) clause(g) of sub section 260 the
value of the property in respect of which the offence has been committed.

// निर्णय //

(आज दिनांक 5.7.17 को घोषित)

01. आरोपी को स्वेच्छिक संस्वीकृति के आधार पर उसे भा0द0वि0 की धारा 229, 337, 101 एवं मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 3/481, 141/196 के तहत दण्डनीय अपराध का दोषी पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

02. दण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया। आरोपी के विरुद्ध अभिलेख पर कोई पूर्व दोषसिद्धि अभिलिखित नहीं है। अतः आरोपी की संस्वीकृति एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये आरोपी 63/वी.सी. 510, 2/प्रजापति को भा. द.वि. की धारा 229, 337, 101 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/481, 141/196 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए न्यायालय उठने तक की अवधि की सजा एवं कमशः राशि रुपये 1000/-, 500/-, 1000/- कुल 2500/- रु0 (2500/-) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

03. अर्थदण्ड संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को 07 दिवस की अवधि के साधारण कारावास से भुगताया जावे।

04. जप्तशुदा सम्पत्ति वाहन MP 30.M.L.D. 376 को 6/7/17 को उसके पंजीकृत स्वामी को लौटाया जाये। शुद्धीकरण के लिये पुर्नप्राप्ति के लिये समस्त कार्य मेरे निर्देशन पर टंकित

A.K. Gupta

Judicial magistrate first class,
Gohad Dist. Bhind (M.P.)